

सं. जी-11011/2/2014-एनआरडीडल्यूपी

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

8वाँ तल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ कॉफ्लैक्स, लोटी रोड,  
नई दिल्ली-110003  
दिनांक 20 जून, 2014

सेवा में,

झारखंड, पंजाब, तमिल नाडु, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश,  
असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/संघ  
राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव  
ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

**विषय:- वर्ष 2014-15 हेतु सहायता और डब्ल्यूक्यूएम और एस की पहली किश्त की  
रिलीज।**

महोदय,

यह बताया जाता है कि वर्ष 2014-15 हेतु 10 राज्यों नामतः झारखंड, पंजाब, तमिल नाडु, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा को सहायता/डब्ल्यूक्यूएम और एस निधियों की पहली किश्त जारी की गई। शेष राज्यों को सहायता और डब्ल्यूक्यूएम निधियाँ नहीं जारी की जा सकीं, क्योंकि उन्होंने अनुरोध के सुपुर्द न किए जाने अथवा अन्य किसी लंबित मुद्दों के कारण 2013-14 के सहायता/डब्ल्यूक्यूएम और एस निधियों की दूसरी किश्त नहीं ली थी। ऐसे राज्य, जो निधियों की रिलीज के लिए पात्र थे, को निधियों की पहली किश्त के जारी हेतु अनुरोध के साथ प्रस्ताव भेजने की भी जरूरत है। अतः शेष राज्यों से अनुरोध है कि 2014-15 के सहायता/डब्ल्यूक्यूएम और एस निधियों की पहली किश्त को जारी करने का अनुरोध वांछित दस्तावेजों यथा-उपयोगिता प्रमाण पत्र/लेखा रिपोर्ट और लंबित मुद्दों, यदि कोई हो, को पूरा करने के साथ करें।

भवदीय,

(एम.एम. सिंह)  
निदेशक (जल)

प्रति: तकनीकी निदेशक (एनआईसी), मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने हेतु